भारत की शास्त्रीय भाषाएँ

भारत की शास्त्रीय भाषाएँ

भारतीय शास्त्रीय भाषाओं का एक दीर्घकालीन इतिहास और समृद्ध, अद्वितीय और विशिष्ट साहित्यिक विरासत है।

- **भाषा विशेषज्ञ समिति (LEC)** - शास्त्रीय स्थिति हेतु भाषाओं का मूल्यांकन करने लिये साहित्य अकादमी के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में गठित की गई थी।

शास्त्रीय भाषाएँ

- *तमिल - 2004*
- *संस्कृत – 2005*
- *तेलुगु – 2008*
- *कन्नड़ – 2008*
- *मलयालम – 2013*
- *ओडिया – 2014*
- *मराठी – 2024*
- *बंगाली – 2024*
- *असमिया – 2024*
- *प्राकृत – 2024*
- *पाली – 2024*

प्राकृत और पाली को छोड़कर सभी शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में किया गया है।

शास्त्रीय भाषाओं के लिये मानदंड (वर्ष 2005 में निर्धारित)

1. **उच्च पुरातनता:** प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1,500 से 2,000 ई.पू. की हो।
2. **प्राचीन साहित्य/पाठ का संग्रह:** जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
3. **ज्ञान ग्रंथ:** किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति
4. **विशिष्टता/असंततता:** शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण, शास्त्रीय भाषा तथा उसके बाद के रूपों अथवा शाखाओं के बीच एक विसंगति से भी उत्पन्न हो सकती है।

तृतीय मानदंड को वर्ष 2024 में संशोधित कर "ज्ञान ग्रंथ (किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति") से "ज्ञान ग्रंथ (विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के साथ गद्य ग्रंथ") कर **दिया गया।**

शास्त्रीय भाषा घोषित करने का महत्त्व

1. शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के विद्वानों को प्रतिवर्ष दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना
2. शास्त्रीय भाषा अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

दृष्टि The Vision

और पढ़ें: 5 नई शास्त्रीय भाषाएँ और मानदंडों में बदलाव

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/classical-languages-of-india